G:\Govind\Latter 154

राजस्थान सरकार
निदेशालय समेकित बाल विकास सेवाऐं
(महिला एवं बाल विकास विभाग)
2, जलपथ गांधीनगर, जयपुर

क्रमांकः एफ. 16(1)(78)सामान्य/आईसीडीएस/16/ 570-602 जयपुर, दिनांकः 1-1-18

उप निदेशक,
महिला एवं बाल विकास विभाग,
समस्त ।

विषय :- समितियों की बैठक निर्धारित समय पर आयोजित कराने बाबत ।
प्रसंग :- निदेशालय का पूर्व पत्रांक 106346-378 दिनांक 14.07.17 के कम में ।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासगिक पत्र के कम में लेख है कि समेकित बाल विकास सेवाओं के अन्तर्गत प्रदत्त सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, प्रबोधन, पर्यवेक्षण तथा विभिन्न विभागों में समन्वय एवं अभिसरण हेतु प्रशासनिक सुधार विभाग के आदेश कमांक एफ. 6(34)प्रसु/अनु-3/2013 दिनांक 19.09.2013 द्वारा राज्य/जिला/ब्लॉक/आंगनबाडी स्तरीय निगरानी एवं समीक्षा समितियों का गठन किया गया है । समिति गठन के आदेश विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है । समिति गठन के उक्त आदेशों की प्रति समस्त जिला कलक्टर, जिला प्रमुख, महापौर एवं नगर निगम, अध्यक्ष, नगर परिषद/पालिका को भी प्रेषित करते हुए उनकी नियमित बैठक आयोजित किये जाने के निर्देश दिये गये थे ।

विभागीय योजनाओं का सफल संचालन, प्रभावी मोनिटरिंग, पर्यवेक्षण एवं समीक्षा किया जाना आवश्यक हैं । इस हेतु आपकों निर्देशित किया जाता है कि आप प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा गठित कमेटियों की जिला स्तरीय/ब्लॉक स्तरीय समितियों की निर्धारित अवधि में बैठके नियमित रूप से आयोजित किया जाना सुनिश्चित करें तथा गत एक वर्ष में की गई बैठकों का कार्यवाही विवरण संयुक्त निदेशक (मोनोटरिंग) मुख्यालय को तीन दिवस मे भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें ।

यहाँ यह उल्लेखनीय है कि विभाग द्वारा वर्तमान मे जिला स्तर पर तीन ही कमेटिया रखी गयीं है, जिसका विवरण पत्रांक 185732-797 दिनांक 27.11.17 में वर्णित कर दिया गया हैं ।

निदेशक
समेकित बाल विकास सेवाऐं
राजस्थान, जयपुर।

क्रमांकः एफ. 16(1)(78)सामान्य/आईसीडीएस/16/ 603-907 जयपुर, दिनांकः 1-1-18

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. समस्त बाल विकास परियोजना अधिकारी, समेकित बाल विकास सेवाऐं .... ।
2. प्रभारी अधिकारी, कम्प्यूटर प्रशाखा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु ।